न्यायलय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 132/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. नाथुराम पुत्र वालाराम 2. भीकाराम पुत्र वालाराम जातियान सीरवी निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्रीमती नीलम सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक : – 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम अटबडा तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3495 रकबा 1.3500 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3496 रकबा 2.4500 हैक्टर आई हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है एवं मांगीलाल पुत्र पुकाराम का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज सुदा है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि लाबुराम पुत्र उम्मेद जाति सिरवी निवासी साण्डिया वालो से दिनांक 12/12/1978 को जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका सेटलमेन्ट के दौरान उक्त कृषि भूमि का नामा0 पत्रावली संख्या 181/1990 दिनांक 21.01.1980 के आदेशों अनुसार अनुसार नाथुराम, भीकाराम पिसराम वालाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी का दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट के बाद प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 कायम की गई थी जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सहवन से एवं भूलवश नाथुराम पुत्र भीकाराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है, जो गलत दर्ज हुआ, जबकि नाथुराम व भीकाराम दोनो सगे भाई है तथा पिताजी का नाम वालाराम हैं। खसरा मिलान व पर्चा लगान में सही अंकित किया गया था, लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045 में सहवन से गलत इन्द्राज हो गया, जिससे उसके बाद बनी चौसाला जमाबंदीयों में लगातार नाथुराम पुत्र भीकाराम के नाम से ही दर्ज चला आ रहा हैं, जो गलत दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाथुराम पुत्र वालाराम एवं भीकाराम पुत्र वालाराम नाम से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रेकर्ड दुरूस्त कर जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की उक्त वादरथ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाथुराम पुत्र भीकाराम 1/2 हिस्सा जाति सीरवी साकिन जोड़िया खातेदार के स्थान पर नाथुराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, भीकाराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, साकिन साण्डिया देह खातेदार माफिक ईश्तदुआ अनुसार साकिन जोड़िया के स्थान पर साकिन साण्डिया राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित समस्त कृषि भूमि सरहद मौजा अटपड़ा तहसील सोजत में स्थित है। पैरा संख्या 02 व 03 के कम प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा सं0 04 व 05 को कानूनी बताया हैं।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/1860 दिनांक 23.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अटबड़ा के ख.नं. 3495, 3496 राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि नाथुराम पुत्र भीकाराम जाति सीरवी व मांगीलाल पुत्र पुखाराम जाति सीरवी के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं। उक्त भूमि की मौके पर आधे हिस्से पर मांगीलाल पुत्र पुखाराम तथा शेष आधे हिस्से में नाथुराम पुत्र बालाराम व भीकाराम पुत्र बालाराम अलग-अलग काबिज हैं, की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश की, सामिल मिसल हैं।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि सरहद मौजा ग्राम अटबडा तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3495 रकबा 1.3500 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3496 रकबा 2.4500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाथुराम पुत्र भीकाराम 1/2 हिस्सा जाति सीरवी साकिन जोड़िया खातेदार के स्थान पर नाथुराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, भीकाराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, साकिन साण्डिया देह खातेदार माफिक ईश्तदुआ अनुसार साकिन जोड़िया के स्थान पर साकिन साण्डिया राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जबाब बहस मे प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादस्थ कृषि भूमि के पर्चा लगान,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज०)

बेचान रजिस्ट्री दिनांक 12.12.1978, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर नाथुराम व भीकाराम पुत्र--पिता नहीं होकर सगे भाई होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में माफिक ईश्तदुआ अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाथुराम पुत्र भीकाराम 1/2 हिस्सा जाति सीरवी साकिन जोड़िया खातेदार के स्थान पर नाथुराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, भीकाराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, साकिन साण्डिया देह खातेदार माफिक ईश्तदुआ अनुसार साकिन जोड़िया के स्थान पर साकिन साण्डिया राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम अटबडा तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3495 रकबा 1.3500 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3496 रकबा 2.4500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाथुराम पुत्र भीकाराम 1/2 हिस्सा जाति सीरवी साकिन जोड़िया खातेदार के स्थान पर नाथुराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, भीकाराम पुत्र वालाराम 1/4 हिस्सा, साकिन साण्डिया देह खातेदार माफिक ईश्तदुआ अनुसार साकिन जोड़िया के स्थान पर साकिन साण्डिया राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 5/01/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)